जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27.06.2024

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 3.063 किलोग्राम अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 30 लाख रुपये) व परिवहन मे प्रयुक्त टाटा ट्रक बरामदः-

आज दिनांक 27.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैरना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान चैकिंग पोंइट बिडौली चैक पोस्ट पर यमुना ब्रिज के पास से 02 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 3.063 किलोग्राम अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 30 लाख रुपये) व परिवहन मे प्रयुक्त टाटा ट्रक सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1.हैप्पी कुमार पुत्र धोडूराम निवासी ग्राम चकबम्लो,थाना रामगढ़,जनपद सांला(जम्मू और कश्मीर)।

2.विक्रमजीत सिंह पुत्र शरदूल सिंह निवासी ग्राम डालेचख थाना फतेहगढ चुडियां जनपद गुरदासपुर (पंजाब)।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध अफीम 3.063 किलोग्राम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 30 लाख रुपये)।

2.परिवहन मे प्रयुक्त टाटा ट्रक रजि0 न0- JK02CX8977 ।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध अपमिश्रित शराब बरामदः-

आज दिनांक 27.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 20 लीटर अपमिश्रित शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रविन्द्र पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम खानपुर कलाँ थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 20 लीटर अपमिश्रित शराब।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

वर्ष 2023 में अभियुक्त राजपाल उर्फ राजेश पुत्र मंगतराम निवासी ग्राम गोंदर थाना निसिंग जनपद करनाल (हरियाणा) के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 647/2023 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 27.06.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा में जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.राजपाल उर्फ राजेश पुत्र मंगतराम निवासी ग्राम गोंदर थाना निसिंग जनपद करनाल (हरियाणा)।